भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : 268
दिनांक 06 अगस्त, 2026

'सतत' योजना का कार्यान्वयन

*268. **श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः**

श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटीः

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (सतत) योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्रों की स्थापना और प्रचालन में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीबीजी के उठान (ऑफटेक) तथा नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के साथ इसके एकीकरण को सुदृढ करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, अपशिष्ट प्रबंधन और जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी के संबंध में उक्त योजना से क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"सतत' योजना का कार्यान्वयन' के बारे में संसद सदस्य श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया और श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेट द्वारा दिनांक 06.08.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 268 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ) सरकार ने विभिन्न अपशिष्ट और बायोमास स्रोतों से संपीडित जैव गैस (सीबीजी) के उत्पादन के लिए एक इकोसिस्टम स्थापित करने और प्राकृतिक गैस के साथ इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 अक्टूबर, 2018 को "किफायती परिवहन की दिशा में दीर्घकालिक विकल्प (सतत)" पहल शुरू की। इस पहल के तहत, तेल और गैस विपणन कंपनियां (ओजीएमसीज़) संभावित उद्यमियों से सीबीजी की अधिप्राप्ति के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करती हैं। सीबीजी संयंत्र उद्यमियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य संस्थाओं द्वारा उनके तकनीकी-व्यावसायिक मूल्यांकन के आधार पर स्थापित किए जाते हैं।

सरकार ने जैविक जैव-कृषि संसाधन संवर्धन (गोबरधन) पहल के तहत देशभर में सीबीजी परियोजनाओं के विकास के लिए "समग्र सरकारी" दृष्टिकोण अपनाया है। कई मंत्रालयों और विभागों ने सीबीजी क्षेत्र के विकास के लिए सहायक उपाय शुरू किए हैं।

एसएटीएटी सहित सीबीजी पहलों की प्रगति की समीक्षा गोबरधन पर गठित अंतर-मंत्रालयी कार्य बल द्वारा की जाती है, जिसमें हितधारक मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। मंत्रालय समय-समय पर ओजीएमसी, सीबीजी उत्पादकों और अन्य हितधारकों के परामर्श से कार्यान्वयन की समीक्षा भी करता है।

गोबरधन पोर्टल से संकलित जानकारी के अनुसार, 31 जुलाई, 2026 तक लगभग 1,773 टन प्रति दिन की कुल उत्पादन क्षमता वाले 217 सीबीजी संयंत्र कार्यरत थे, जिनमें सतत और सीबीजी-सीजीडी सिंक्रोनाइज़ेशन योजना के तहत 180 सीबीजी संयंत्र शामिल थे।

सरकार ने नगर गैस वितरण (सीजीडी) और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क के साथ इसके एकीकरण को मजबूत करने और सुगम बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2028-29 की अवधि हेतु 994.50 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय सहित सीबीजी ऑफटेक को सुगम बनाने के लिए पाइपलाइन अवसंरचना विकास योजना (डीपीआई) है,जो सीबीजी संयंत्रों या समूहों को सीजीडी और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ने वाली पाइपलाइन बिछाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब तक, इस योजना के तहत 19 सीबीजी संयंत्रों को पाइपलाइनों के माध्यम से जोड़ा जा चुका है।

(ii) सीबीजी-सीजीडी सिंक्रोनाइज़ेशन योजना का विस्तार, जहां गेल एक त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से 31 दिसंबर, 2047 तक संबंधित सीजीडी इकाई को सीबीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करता है और इसके दायरे का विस्तार करके इसमें प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क में सीबीजी का इंजेक्शन शामिल करना।

(iii) सीजीडी नेटवर्क के सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) खंडों में सीबीजी की चरणबद्ध अनिवार्य बिक्री की शुरुआत, जो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1%, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 3%, वित्त वर्ष 2027-28 के लिए 4% और वित्त वर्ष 2028-29 से आगे 5% निर्धारित है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, सीएनजी (टी) और पीएनजी (डी) खंडों में सीबीजी की बिक्री 1% के लक्ष्य के मुकाबले 1.05% तक पहुंच गई।

ओजीएमसी ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान लगभग 96.5 हजार टन स्वच्छ गैस (सीबीजी) की अधिप्राप्ति की, जो वित्त वर्ष 2024-25 में अधिप्राप्त की गई मात्रा की दोगुना मात्रा से भी अधिक है। जीवाश्म ईंधन के आयात के प्रतिस्थापन की सीमा उत्पादित और पारंपरिक प्राकृतिक गैस तथा अन्य जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर उपयोग की जाने वाली सीबीजी की मात्रा पर निर्भर करती है। अतिरिक्त सीबीजी क्षमता के चालू होने और सीबीजी के बढ़ते उपयोग के साथ, आयातित प्राकृतिक गैस के प्रतिस्थापन में इसका योगदान और बढ़ने की उम्मीद है। सीबीजी संयंत्र कृषि अवशेषों, पशु गोबर, प्रेस मड, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट और अन्य जैविक अपशिष्टों को नवीकरणीय ईंधन में परिवर्तित करके स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में सहयोग करते हैं। इससे अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार, पराली जलाने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, जैविक खाद का उत्पादन, मृदा स्वास्थ्य में सुधार और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। सीबीजी संयंत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार, किसानों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर, कच्चे माल और जैविक खाद आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास, जैविक खेती को बढ़ावा देने, स्थानीय बुनियादी ढांचे के निर्माण और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सहयोग प्रदान करते हैं।
